कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
पांच बिल्डिंग परिसर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Phone No. :- 0788-2323704, E-Mail ID :- dpodurg@gmail.com

क्रमांक / 1523 / मबावि / पो.आ. / 2020–21 दुर्ग, दिनांक 17/9/2020

महिला स्व–सहायता समूहों से रेडी–टू–ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

जिले की अधोलिखित बाल विकास परियोजना / परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी–टू–ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु **केवल सेक्टर परिक्षेत्र में स्थित सक्षम महिला स्व–सहायता समूहों** से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रस्ताव हेतु आवेदन–पत्र इस कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों / समय में **दिनांक 06 अक्टूबर 2020 को अपरान्ह 4.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक / कोरियर के माध्यम से** प्रस्तुत किये जा सकते है। इस कार्य से संबंधित शर्ते व विस्तृत विवरण 01 दिवस पूर्व तक अर्थात् 05 अक्टूबर 2020 तक कार्यालयीन दिवसों / समय में जिला कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। इस हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप सहित अन्य विवरण जिले की वेबसाईट पर भी www.durg.gov.in उपलब्ध है।

क्रं.	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम जहां प्रदाय किया जाना हैं।	सेक्टर में आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या
1	धमधा	डंगनिया	27
		कोड़िया	27
		घोठा	25
		धमधा	26
		बोरी	25
		लिटिया	25
2	जामगांव–एम	महुदा	23
		पचपेड़ी	25
		जामगांव–एम	21
		औंरी	23
3	अहिवारा	गिरहोला	40
		मुरमुंदा	29
		गोढ़ी	26
		कुम्हारी	28

(जिला स्तरीय समिति द्वारा आदेशित)

17/9/2020

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

(प्रपत्र 1 से 5 तक)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

पांच बिल्डिंग परिसर,जिला-दुर्ग (छ.ग.)

महिला एवं बाल विकास विभाग

Phone No. :- 0788-2323704, E-Mail ID :- dpodurg@gmail.com

रेडी टू ईट आवेदन पत्र

1. समूह का नाम एवं पूर्ण पता :- ....
2. .सेक्टर का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है :- ....
3. समूह का गठन दिनांक :- ....
4. समूह की पंजीयन तिथि तथा पंजीयन क्रमांक :- ....
5. समूह की निर्धारित संख्या :- ....
6. महिला समूहों का ग्रेड (छ.ग. महिला कोष ऋण योजना अंतर्गत निर्धारित):- ....
   (पर्यवेक्षक व्दारा भरा जावें)-ग्रेड अ/ग्रेड ब/ग्रेड स
7. समूह व्दारा संचालित बैंक खाता का विवरण-
   बैंक खाता का नाम :- ....
   बैंक खाता खोलने की तिथि :- ....
   बैंक खाता में आवेदन तिथि तक जमा राशि :- ....
   आवेदन तिथि के पूर्व खाते से आहरित राशि :- ....
   आवेदन तिथि को बैंक एवं समूह के पास जमा बचत राशि (बैंक+समूह के पास जमा):-..................
8. समूह की कार्यशील पूँजी :- ....
9. समूह की नियमावली :-
   A. लिखित/अनौपचारिक/अलिखित/नहीं है।
   B. नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों का कार्यकाल :- (पूर्ण वर्षो में)
      अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष
   C. क्या पदाधिकारियों का चयन चक्रीय क्रम में किये जाने का प्रावधान है? (हॉ/नहीं)
   D. नियमावली के अनुसार समूह की बैठके
      (साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/छमाही/त्रैमासिक/उल्लेख नहीं/अलिखित) :- ....
   E. गत 1 वर्ष (1 जनवरी 20....... से 31 दिसम्बर 20...... तक) बैठकों की संख्या :- ....
10. समूह के पास यूनिट सीापित करने के लिये आवश्यक संसाधन की स्थितिः-
    1. स्वंय का पक्का मकान (हॉ/नहीं) :- ....
    2. यदि हॉ तो उपलब्ध कक्ष की संख्या (विवरण) :- ....
       ....
    3. 3 फेस विघुत कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं :- ....
    4. परिवहन हेतु वाहन की व्यवस्था :- ....
    5. आटा चक्की एवं पल्वराईजर लगाने के लिये पर्याप्त स्थान :- ....
    6. मिक्सिंग एवं भुनाई हेतु पर्याप्त स्थान :- ....

07

11. समूह की कार्यशील पूंजी (राशि रूपये में) :– ....

12. समूह के पास उपलब्ध पंजियों का विवरण :–

पंजियों का विवरण	अपूर्ण	पूर्ण	संधारित नहीं
सदस्यता पंजी			
बैठक कार्यवाही विवरण पंजी			
जमा पंजी			
ऋण एवं ऋण वापसी पंजी			
रोकड़ बही			
अन्य पंजी			

13. क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका समूह में है यदि हॉ तो विवरण दें –

नाम	पदनाम	केन्द्र का नाम

14. क्या समूह व्दारा छत्तीसगढ़ महिला कोष से ऋण लिया गया है यदि हॉ तो –

1. ऋण की राशि :– ....
2. ऋण प्राप्त करने की तिथि :– ....
3. ऋण वापसी की तिथि :– ....
   (अभी तक कितना किश्त वापस किया गया)
4. ऋण वापसी में समूह व्दारा चूक किया गया है या नहीं :– ....
5. यदि हॉ तो कौन–कौन सा किश्त में चूक किया गया है :– ....

15. समूह व्दारा वर्तमान में कोई गतिविधि/व्यवसाय संचालित किया जा रहा है या नहीं :–

यदि हां तो संचालित गतिविधि/व्यवसाय :– ....

गतिविधि/व्यवसाय से आय (बचत) :– ....

गतिविधि संचालन में निवेश की गई पूंजी :– ....

सचिव	**अध्यक्ष**

....	....

महिला स्व सहायता समूह	**महिला स्व सहायता समूह**

(प्रपत्र–1)

समूह कियाशीलता का परीक्षण पत्रक (विगत दो वर्ष)

(अवधि – 01 जनवरी 20.......... से 31 दिसम्बर 20............ की स्थिति में)

क0	माह का नाम	बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थित सदस्य/संख्या	बैंक जमा	आहरण	बचत/लाभ का विवरण	सदस्यों की संख्या	आंतरिक ऋण एवं लेनदेन का विवरण				
				समूह सदस्यों व्दारा जमा राशि	समूह सदस्यों व्दारा आहरित राशि		बचत/लाभ प्राप्त करने वाले	दी गई राशि	सदस्य संख्या	वसूली हेतु लक्ष्य राशि	वसूली प्राप्त राशि	वसूली की प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जनवरी 20.......											
2	फरवरी 20........											
3	मार्च 20..........											
4	अप्रैल 20........											
5	मई 20.........											
6	जून 20.......											
7	जुलाई 20........											
8	अगस्त 20.......											
9	सितम्बर 20.......											
10	अक्टूबर 20......											
11	नवम्बर 20.......											
12	दिसम्बर 20......											

सचिव
____
महिला स्व सहायता समूह

अध्यक्ष
____
महिला स्व सहायता समूह

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

नाम :– ....

पदनाम :– ....

(प्रपत्र–2)

महिला स्व सहायता समूहों के विरूध्द अपराधिक मामले हेतु

शपथ–पत्र

महिला स्व सहायता समूह की ओर शपथ पूर्वक कथन है कि महिला स्व सहायता समूह की गतिविधियों इसके सामूहिक कार्यो एवं व्यक्तिगत दायित्वों के लिये महिला स्व सहायता समूह के नामित सदस्यों के विरूध्द किसी भी प्रकार के अपराधिक एवं इससे संबंधित न्यायिक मामले दर्ज/लंबित नहीं है जो कि महिला समूह के उद्द्श्यों एवं उसकी प्राप्ति के लिये किये गये कार्यो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखते हो।

सचिव	अध्यक्ष
....	....
महिला स्व सहायता समूह	महिला स्व सहायता समूह

(प्रपत्र–3)

शासकीय योजना के संचालन के संबंध में

शपथ–पत्र

समूहिक दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए समूह के पदाधिकारी एवं समस्त सदस्य सत्य निष्ठा के साथ वचन दे रहे हैं कि समूह के विरूध्द किसी भी विभाग से संबंधित किसी शासकीय योजना के संचालन/निर्वहन/अनुपालन के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत संस्थित नहीं है और न ही इससे संबंधित मामलों के लिये संस्था के विरूध्द कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गयी है।

सचिव	अध्यक्ष
....	....
महिला स्व सहायता समूह	महिला स्व सहायता समूह

(प्रपत्र–4)

समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी (पृथक से संलग्न करें)

क0	सदस्य का नाम	पदनाम	पिता/पति का नाम	उम्र	समूह में कब से सदस्य है	जाति /अ. जा. /अ.ज. जा./ अ.पि. वर्ग	समूह की अन्य महिला सदस्यों से आपसी संबंध का विवरण	क्या कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज है?	क्या समूह से आय प्राप्त कर रहे है	सदस्य के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सचिव

महिला स्व सहायता समूह

अध्यक्ष

महिला स्व सहायता समूह

(प्रपत्र–5)

दी गई जानकारी के संबंध में शपथ–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं तथ्य पूर्ण है। यदि उपरोक्तानुसार दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने/तथ्यों को छुपाने की स्थिति है तथा यदि उक्त जानकारी असत्य पायी जाती है तो इसके लिये समूह जिम्मेदार माना जायेगा एवं तदानुसार समिति को आवेदन निरस्त करने का अधिकार होगा।

सचिव

....

महिला स्व सहायता समूह

अध्यक्ष

....

महिला स्व सहायता समूह

- ## समूह चयन हेतु पात्रता मापदण्ड :–

1. छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना के उल्लेख अनुसार केवल 'ए' श्रेणी की महिला स्व सहायता समूह की चयन के लिये पात्र होंगे।
2. जिस पर्यवेक्षक सेक्टर की आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट फूड प्रदाय के लिये समूह का चयन किया जाना है, समूह का मुख्यालय उसी सेक्टर परिक्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिये।
3. आवेदित महिला स्व सहायता समूह में समान सामाजिक, आर्थिक परिवेश की 10 से 20 महिलाएं सदस्य हो तथा आवेदित महिला स्व सहायता समूह में एक परिवार का एक सदस्य ही शामिल हो।
4. समूह के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित हो। चक्रानुक्रम में अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का चयन किया जाता हो। इस आशय का समूह की नियमावली में स्पष्ट उल्लेख हो।
5. समूह की नियमित बैठक हो रही हो। समूह के निर्णय में सभी की सहभागिता हो तथा प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण पंजी में दर्ज किया जाता हो।
6. महिला स्व सहायता समूह का बैंक खता हो तथा रोकड़ बही, सदस्यता पंजी, जमा पंजी, ऋण एवं ऋण वापसी पंजी अद्यतन संधारित हो। रोकड़ बही में बचत एवं निकासी का विवरण अद्यतन दर्ज हो।
7. समूह आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिये ताकि वे रेडी टू ईट फूड का स्वयं उत्पादन करने हेतु आवश्यक मशीने एवं अधोसंरचना विकसित कर सके तथा रेडी टू ईट की निरंतरता को दो माह तक बनाये रख सके।
8. शासन व्दारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगें।

- ## समूह चयन हेतु अपात्रता :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका यदि महिला स्व–सहायता समूह में सदस्य/पदाधिकारी है तो समूह को चयन के लिए अपात्र माना जायेगा।
2. समूह के सदस्य/सदस्यों का किसी अपराधिक गतिविधि में संलग्न पाये जाने पर समूह को तत्काल ऐसे सदस्य/सदस्यों को समूह से पृथक करना होगा यदि सदस्यों को पृथक करने के उपरांत समूह की सदस्य संख्या समूह के न्यूनतम संख्या से कम हो रही तो तत्काल नवीन सदस्यों को समूह में शामिल होगा अन्यथा समूह अपात्र माना जावेगा।
3. किसी भी समूह, जिसे पूर्व में रेडी–टू–ईट के कार्य में अथवा किसी अन्य शासकीय योजना में अनियमितता/नमूनों के गुणवत्ताहीन पाये जाने के कारण पूर्व में कार्य से पृथक किया गया है तो समूह चयन के लिए अपात्र माना जायेगा।

4. यदि महिला स्व–सहायता समूह का मुख्यालय संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर से बाहर का है तो उसे चयन के लिए अपात्र माना जावेगा।
5. समूह में 10 से कम एवं 20 से अधिक सदस्य हो तथा जिस समूह में सभी सदस्य महिलाये न हो तो ऐसे समूह को चयन के लिए अपात्र माना जावेगा।
6. महिला स्व–सहायता समूह द्वारा अर्जित लाभ, समूह द्वारा विनियोग नहीं किया जा रहा है अथवा सदस्यों में वितरित नहीं किया जा रहा है, तो समूह की कार्यवाही को संदिग्ध मानते हुए समूह को चयन हेतु अपात्र माना जायेगा।
7. महिला स्व–सहायता समूह की गतिविधि/कार्य समूह की अवधारणा के अनुरूप न होने पर अपात्र माना जायेगा।
8. शासन व्दारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)

रेडी–टू–ईट फूड प्रदाय करने हेतु आवेदन करने के सामान्य निर्देश

1. आवेदक **महिला स्व–सहायता समूह का मुख्यालय संबंधित सेक्टर क्षेत्र के तहत ही होना चाहिए।**
2. आवेदक **समूह पर्याप्त सक्षम होना चाहिए।**
3. आवेदक समूह को आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। **आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक अभिलेखों को संलग्न करना आवश्यक है। अपूर्ण अथवा अस्पष्ट आवेदन/अभिलेख स्वीकार्य नहीं होंगे तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक समूह की होगी।**
4. आवेदन के निर्धारित प्रारूप के साथ प्रस्तावित अनुबंध, कार्य की शर्तो तथा निर्देशों का भली–भांति अवलोकन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरे जाने चाहिए। अपूर्ण जानकारी अथवा भ्रामक जानकारियां आवेदन पत्र में कदापि न भरी जावे।
5. आवेदन करने हेतु प्रेषित किए जाने वाला लिफाफा पर्याप्त बड़ा एवं मजबूत हो ताकि उसमें रखे जाने वाले समस्त अभिलेख सुरक्षित रहे। इस लिफाफे के ऊपर **"सेक्टर..............................के लिए रेडी–टू–ईट फूड प्रदाय हेतु आवेदन–पत्र"** अनिवार्यतः लिखा जाना चाहिए। इसके साथ ही आवेदन प्रस्तुत करने वाले समूह का नाम एवं पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर भी लिखा जाना अनिवार्य है। उपरोक्त के अभाव में प्रेषित आवेदन पत्रों को स्वीकार न करते हुए तत्काल वापस कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र एवं अभिलेखों सहित सीलबंद किए गए लिफाफे को **"जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग परिसर दुर्ग (छ.ग.)"** को प्रेषित करना होगा।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में **आवेदन संबंधी सीलबंद लिफाफा स्वीकार करने की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2020 अपरान्ह 4.00 बजे तक है। इस तिथि/समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों को तत्काल वापस कर दिया जावेगा।**
8. आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त अभिलेखों के हर पन्ने पर समूह के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर एवं सील लगाया जाना अनिवार्य है।
9. आवेदन पत्र अथवा संलग्न अभिलेखों में किसी भी प्रकार की कांट–छांट स्वीकार नहीं होगी तथा ऐसे आवेदनों को अमान्य कर दिया जावेगा।
10. **आवेदन केवल स्पीड पोस्ट, कुरियर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेंगे। कार्यालय में उपस्थित होकर (By Hand) प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।**
11. रेडी–टू–ईट फूड हेतु रिक्त सेक्टर्स की जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, प्रस्तावित अनुबंध की जानकारी तथा अन्य नियम एवं शर्ते दुर्ग जिले की वेबसाईट **www.durg.gov.in** पर उपलब्ध है। समस्त आवेदकों को आवेदन पत्र सहित अन्य जानकारियां उपरोक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रिन्ट निकालकर उपयोग करना होगा। **जिला कार्यालय से उपरोक्त आवेदन/जानकारियों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।**
12. उपरोक्त सेक्टर्स हेतु रिक्तियों, आवेदन की शर्तो, आवेदन प्रारूप आदि में किसी भी समय परिवर्तन करने, संशोधन करने अथवा उसे निरस्त करने का अधिकार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. उपरोक्त रिक्तियों की प्रक्रिया को जारी रखने, किसी भी समय संशोधन करने अथवा निरस्त करने का अधिकार जिला–कलेक्टर/अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग के पास सुरक्षित होगा।
14. **सम्पूर्ण नियमों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करने एवं उनसे सहमत होने के उपरांत ही समूह को आवेदन करना चाहिए।**

(हस्ताक्षर) .../2020

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–दुर्ग (छ.ग.)